संख्या 1434(1)/99-27-सिं0-5-36 टी0डब्लू0/

प्रेषक,

श्री योगेन्द्र नारायण, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ०प्र०।

सिंचाई अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक 14 जुलाई 1999

विषय - <u>यू0पी0प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्रयूबवेल्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ को कार्यदायी संस्था घोषित करना।</u> महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि यू0पी0प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0, उत्तर प्रदेश शासन का सार्वजिनक प्रतिष्ठान है, इसे विभिन्न प्रकार के नलकूपों का निर्माण, सिंचाई एवं जल परियोजनाओं और उससे जुड़े अन्य निर्माण कार्यों को सम्पादित कराने का कुशल तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त है। कार्पोरेशन के पास इन कार्यों के निर्माण हेतु पर्याप्त क्षमता एवं उपकरण भी उपलब्ध हैं। प्रदेश के विकास हित में कारपोरेशन की इस निर्माण क्षमता के अधिकाधिक उपयोग हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्न कार्यों के लिए यू0पी0प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0, को सहर्ष राजकीय कार्यदायी संस्था निर्माण ऐजेन्सी घोषित करते हैं:-

- 1. विभिन्न प्रकार एवं क्षमता के उथले एवं गहरे नलकूपों का निर्माण एवं पुनः निर्माण।
- 2. हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जैसे बैराज, एक्वाडक्ट, साइफन, पम्पगृह का निर्माण तथा उससे जुड़े अन्य विविध कार्य।
- 3. सिंचाई एवं जलोत्सारण से सम्बन्धित कार्य जैसे-नहरों की लाइनिंग, ड्रेन्स का निर्माण एवं उनकी क्षमता की पुर्नस्थापना तथा जलसंवर्धन, जल संग्रहण एवं जल वितरण से समबन्धित कार्य जैसे-भूमिगत एवं शीर्ष जलाशय एवं वितरण प्रणाली का निर्माण।
- 2. अतः समस्त सरकारी विभागों एवं उनके नियंत्रणाधीन राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों /िनगमों, स्थानीय निकायों तथा त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थानों द्वारा उपरोक्त प्रकृति के कार्य कराने में यू0पी0प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्रयूबवेल्स कारपोरेशन लि0, को प्रथम वरीयता दी जाय।

भवदीय, ह0 / -(योगेन्द्र नारायण)

संख्या 1434/99-27-सिं0-5 /तिदनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1. अधीक्षक मुदृण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० लखनऊ को गजटके आदायगी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 2. उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त प्रतिष्ठान/निगम/स्थानीय निकाय तथा निस्तरीय पंचायती राज संस्थायें।
- 3. अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्यूबवेल कारपोरेशन लि0 लखनऊ।
- 4. समस्त मण्डलायुक्त।
- 5. समस्त जिलाधिकारी।
- 6. सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
- 7. आई.एफ.ए. अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

अज्ञा से

ह0/-डी0पी0 सिंह प्रमख सचिव